रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2003/फाल्गुन 29, 1924

No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2003/PHALGUNA 29, 1924

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2003

सं. एमसीआई-151(5)-स्था./2002.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 खण्ड-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम **भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भर्ती (संशोधन) नियम 2003 है।**

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन :- 29 दिसम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भर्ती नियमों, में :-

(1) टिप्पणी में :-

(i) विद्यमान पैरा 5 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :
"5. समूह 'क' पदों को छोड़ कर पदों के मामले में अर्हताएं नियोक्ता प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती हैं बशर्ते उम्मीदवार इस पद के लिए अन्यथा योग्य पाए जाएं।'

(ii) पैरा 6 में, वाक्य "प्रोन्नति के लिए विभागीय उम्मीदवारों के मामले में, यदि वे इस पद के लिए अन्यथा योग्य पाए जाएं तो, आयु और शैक्षिक अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी" निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"विभागीय उम्मीदवारों के मामले में, समूह 'क' पदों को छोड़कर, यदि वे इस पद के लिए अन्यथा उपयुक्त पाए जाएं तो, आयु और शैक्षिक अर्हताओं को शिथिल किया जा सकेगा"

(2) सचिव, पूर्णकालिक निरीक्षक, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव के पदों के सामने,

(i) कालम 7 में, "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस." शब्दों के लिए, जहां कहीं भी वे आते हों, "एक मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अर्हता अथवा इसकी समकक्ष अर्हता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगें;

(ii) कालम 8 में, प्रोन्नति वाले उम्मीदवारों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हता से संबंधित, वर्तमान प्रविष्टि "नहीं", जहां कहीं भी ये आती हो, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात :-

"आयु	-	नहीं
शैक्षिक अर्हता	-	हां"

(3) कालम 7 में सचिव के पद के सामने "अनुभव" के अंतर्गत, शब्दों "अथवा व्यवसाय में कुल 16 वर्ष, जिसमें से 2 वर्ष भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में अपर सचिव के रूप में अथवा 3 वर्ष सुयंक्त सचिव के रूप में", निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

"अथवा व्यवसाय में 16 वर्ष, जिसमें से 2 वर्ष की नियमित सेवा अपर सचिव के रूप में अथवा 3 वर्ष की नियमित सेवा संयुक्त सचिव के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में हो";

(4) पूर्णकालिक निरीक्षक के पद के सामने, कालम 9 के अन्तर्गत, "परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो", वर्तमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

"एक वर्ष। (तथापि, सेवानिवर्तन की आयु के बाद पुनर्नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों के संबंध में पहली बार नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष के लिए होगी, जिसे परिषद के विवेक पर 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है)" ;

(5) अपर सचिव के पद के सामने, कालम 11 में, शब्द "संयुक्त सचिव/उप सचिव के बाद, ब्रेकेट और शब्द "(चिकित्सा)" जोड़ें" ;

(6) संयुक्त सचिव के पद के सामने, कालम 7 में, शब्द "उप सचिव", के बदले शब्द और ब्रैकेट "उप सचिव (चिकित्सा)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(7) उप सचिव के पद के सामने, संयुक्त सचिव के पद के बाद-

(i) कालम 1 के सामने दर्शाये गये पदनाम को "उप सचिव (चिकित्सा)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कालम 2 में, आंकड़ा "3", के स्थान पर आंकड़ा "2" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) कालम 4 में शब्द "लागू नहीं " के स्थान पर शब्द "चयन" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(8) कालम 7 में विधि अधिकारी के पद के सामने शब्द "स्नातक और एल.आई.बी., कम-से-कम 55% अंकों के साथ", के स्थान पर शब्द "स्नातक और एल.एल.बी. , कम-से-कम 55% अंकों के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे" ;

(9) आशुलिपिक ग्रेड-II, हिन्दी अनुवादक, प्रधान लिपिक, कम्प्यूटर आपरेटर, आशुलिपिक ग्रेड-III, टेलीफोन आपरेटर-सह-रिसेप्शनिस्ट, स्टोरकीपर, उच्च श्रेणी लिपिक, स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II), रिकार्डकीपर-सह-पुस्तकालयाध्यक्ष, निम्न श्रेणी लिपिक, ड्राइवर (साधारण ग्रेड), जेस्टेटनर आपरेटर, दफ्तरी, संदेशवाहक, चपरासी, फराश और सफाई कर्मचारी पदों के सामने, कालम 12 में शब्द "सहायक सचिव (प्रशासन)", जहां कहीं भी वे आए हों, शब्द "सहायक सचिव", प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डा. एम. सचदेवा, सचिव

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/100/02]

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2003

No. MCI-151(5)-Estt./2002.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Medical Council of India Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendments :- In the Medical Council of India Recruitment Rules, published in the Gazette of India Part III Section 4 dated the 29th December, 2001-

   (1) In the Note:-

   (i) for the existing para 5, the following para shall be substituted, namely:

   "5. In the case of posts except Group A posts, qualifications are relaxable at the discretion of appointing authority in case candidates are found otherwise suitable for the job."

(ii) In para 6, for the sentence "Age & Educational qualifications shall be relaxable in the case of departmental candidates for promotion, if found otherwise suitable for the post," the following sentence shall be substituted, namely:-

"Age & Educational qualifications shall be relaxable for posts except Group A Posts in the case of departmental candidates for promotion, if found otherwise suitable for the post,"

(2) Against the posts of Secretary, Whole Time Inspector, Additional Secretary, Joint Secretary and Deputy Secretary,

(i) in column 7, for the words "MBBS from a recognized University", wherever they occur, the words "a recognized MBBS qualification or its equivalent" shall be substituted;

(ii) in column 8, relating to age and education qualification for promotees, for the existing entry "No", wherever it occurs, the following entries shall be substituted, namely :-

"Age	-	No
Educational qualifications	-	Yes"

(3) Against the post of Secretary, in column 7, under "experience", for the words "OR a total of 16 years in the profession out of which 2 years as Additional Secretary or 3 years as Joint Secretary in the Medical Council of India", the following words shall be substituted, namely :-

"OR a total of 16 years in the profession out of which 2 years regular service as Additional Secretary or 3 years regular service as Joint Secretary in the Medical Council of India";

(4) Against the post of Whole Time Inspector, under column 9 relating to "Period of Probation, if any", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"One year. (However, in respect of officers appointed on re-employment after the age of superannuation, the tenure of appointment shall be for a period of 3 years in the first instance which is extendable at the discretion of the Council up to the age of 65 years)";

(5) Against the post of Additional Secretary, in column 11, after the words "Joint Secretary/Deputy Secretary", add the brackets and word "(Medical)";

(6) Against the post of Joint Secretary, in column 7, for the words "Deputy Secretary", the words and brackets "Deputy Secretary (Medical)" shall be substituted;

(7) Against the post of Deputy Secretary, occurring after the post of Joint Secretary –

(i) The name of the post shown against column 1 shall be substituted by the name "Deputy Secretary (Medical)";

(ii) In column 2, the figure "3", shall be substituted by the figure "2" .

(iii) In column 4 for the words "not applicable", the words "selection" shall be substituted.

(8) Against the post of Law Officer, in column 7, for the words "graduate with Ll.B. with at least 55% marks", the words "graduate with LL.B. with at least 55% marks", shall be substituted;

(9) Against the posts of Stenographer Grade II, Hindi Translator, Head Clerk, Computer Operator, Stenographer Grade III, Telephone Operator cum Receptionist, Store Keeper, U.D. Clerk, Staff Car Driver (Grade II), Record Keeper cum Librarian, L.D. Clerk, Driver (Ordinary Grade), Gestetner Operator, Daftary, Messenger, Peon, Farash and Safai Karamchari, in column 12, for the words "Asstt. Secretary (Admn.)", wherever they occur, the words "Assistant Secretary", shall be substituted.

Dr. M. SACHDEVA, Secy.

[No. ADVT-3/4/Extraordinary/100/02]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.